

।। कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ।।

क्रमांक- ४७५७ - ७०

ई-बोली आमंत्रण सूचना

दिनांक: ११/१२/२०२०

विभिन्न वस्तुओं के प्रदाय(supply)हेतु ई-बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दरस्तावेजों को दिनांक 12.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे से वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा बोली दिनांक 22.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दरस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उक्त वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट को ऑनलाइन रखने करने होंगे तथा दिनांक 22.12.2020 को दोपहर 3.00 पी.एम तक कैटलॉग/ब्रोशर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से उपरिथ छोकर जमा करवाने होंगे। ई-बोली की वालिफाईड बिड दिनांक 22.12.2020 को साथ 4.00 पी.एम बजे खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.rpa.rajasthan.gov.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>) पर देखा जा सकता है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (रुपयों में)	निविदा शुल्क	सालाई अवधि (दिनों में)
1.	Hourse Float / Horse Carrier	परिषिष्ट-ई के अनुसार	60 Lakh	60,000/-	500/- रु.	60

नोट— बजट की उपलब्धता के अनुरूप उपरोक्त सामान में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

प्रतिलिपि:-

1. समर्त महानिरीक्षक पुलिस रेज राजस्थान, को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सुचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
2. समर्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान को ई-बोली आमंत्रण की प्रति भेजकर निवेदन है कि इसे आपके कार्यालय के सुचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करें।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को ई-बोली आमंत्रण की पांच प्रतियों सहित।
4. सहायक निदेशक(प्रशासन), एवं नोडल अधिकारी आसपीए, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आसपीए जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (<http://sppp.raj.nic.in>), <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), सी.आई.डी. (अपराध शाखा) पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को मय ई-बोली आमंत्रण का सेट उपरोक्तानुसार शीघ्र प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।
7. लेखा प्रभारी, आसपीए जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।


 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
 एवं निदेशक,
 राजस्थान पुलिस अकादमी,
 जयपुर।


 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
 एवं निदेशक,
 राजस्थान पुलिस अकादमी,
 जयपुर।

बोली (bid) की मुख्य शर्तेः—

1. शुल्क(fee)—

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Document & Bid Security Fees) बैंकर चैक/डिमाण्ड झापट के रूप में निम्नानुसार दी जायेगी।

शुल्क विवरण	का	बोली शुल्क की राशि	किसके पक्ष में (In favour of)
बोली शुल्क	प्रपत्र	रु. 500	निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
प्रोसेसिंग फीस	रु. 1000		एम.डी.आरआई.एस.एल (MD RISL)
बोली प्रतिभूति	बोली की कुल अनुमानित राशि का 1%	बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार	अकादमी, जयपुर

(ब) शुल्क जमा करना—निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अलग—अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड झापट को रखने कर आँन लाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा इन्हें बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से भी जमा करने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग शुल्क तथा संबंधित वस्तु के सैम्पत्ति के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. पात्रता (eligibility)-

- बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली(e-Bid)में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। तत्पश्चात् जो I.T.Act 2000 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III)प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority)एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- बोली में अंकित Horse Float / Horse Carrier बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार बोलीयां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशेष्ट-‘द’ (धोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कॉन कर उपलब्ध करवाना होगा।
- किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. अनुभव (experience)-

- बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम या इस तरह के आईटमों का किसी सरकारी विभाग/उपकरण में विगत पांच वर्षों में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य संपादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदाता आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत पांच वर्षों में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर बोलीदाता आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित

वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाइन रकेन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत पांच वर्षों में से कम से कम किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम पांच गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाइन रकेन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ब)

किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. सैम्पल(sample)-

- (i) विभागीय उपापन (procurement) समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जॉच किसी भी राज्य/केंद्र अथवा राज्य सरकारें द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जॉच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं करता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जॉच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

5. दस्तावेज(document)-

- (i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GST/GSTR की शर्त संख्या 4 देखें।
- (ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र हैं तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।
- (iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमाकरने की आंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
- (iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक-'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई हैं तो वह बोली निरस्त कर दी जायेगी और ई-बोली में उसके आगे की प्रक्रिया (stages)में शामिल नहीं किया जायेगा।

6. वैधता(validity)-

बोली की वैधता-प्राइस बिड खुलने की तिथि से 120 दिन तक मान्य होगी।

7. अन्य शर्ती(other condition)-

- (i) उपरोक्ताकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं ई तथा अनुलग्नक-अ, ब, स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (ii) निर्माता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।
- (iii) ई-बोली में ऑनलाइन रकेन कर उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। RTPP Rules के अनुसार बोली कार्यालयी सम्पादित की जायेगी।
- (iv) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र की रकेन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
8. राजस्थान में खापित सूक्ष्म एवं लघु उद्घाम हेतु:-
- (i) उक्त उद्घामियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना

सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाएं। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(ii)

राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग अधार मेमोरेंडम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मात्र स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मात्र स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iii)

राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाइन बोली के साथ ऑनलाइन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv)

राज्य सरकार के लिए आरक्षित उत्पादों से मिन्न उत्पादों के उपापन उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाइन बोली के साथ ऑनलाइन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं कंप्युटर अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग-II(EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(v)

राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की युग्मवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vi)

जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार नियम 33 के तहत अनिवार्य होगा।

(vii)

बोलीदाताSSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

9.

सामान्य सूचना (General information)–

- (i) यदि राज्य से बाहर रित फर्म की दरों न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन (Procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (Prokryomēt Dū Emaṇṣaṇam) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान की जावेगी।

- (ii) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute)किसी उपापन (procure-

ment)संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में सम्पहत (Forefeit) लिया गया है तो बोली लगाने वाले को यउपापन (procurement)संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विवरित (debar)किया जा सकेगा।

- (iii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट— अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)—अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।
- (iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में युणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वाचित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- (v) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार निर्णय लिया जा सकता है। राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगे।
- (vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।
- (viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले उपकरणों/आईटमों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त होप (Drop) भी की जा सकती।

(ix) बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :—

1. उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2307433
ई-मेल. dydirector.rpa@rajpolice.gov.in
2. सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2302633
ई-मेल—adadmin.rpa@rajpolice.gov.in

कार्यालय का नाम	कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
अनुमानित मात्रा / संख्या	परेशिष्ट ई के अनुसार।
कुल अनुमानित कीमत	60 लाख रु.
बोली प्रतिभूति राशि	60,000/- रु.
सम्पार्द्ध अवधि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.12.2020 तक प्रायः 11 बजे तक
बोली खुलने की तिथि (क्वालिफाईड बिड)	दिनांक 22.12.2020 को सायं 4.00 बजे

संलग्नः—बोली आमंत्रण सूचना संख्या:— दिनांक

Rajpol
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय, निदेशक राजस्थन पुलिस अकादमी, जयपुर
 (बोली प्रपत्र-नवालीफाईंग बिड) –
 परिशिष्ट "अ"
धोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

(I)

.....के लिए बोली
 (खाली स्थान में उस वरतु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II)

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-

का नाम, डाक का पूर्ण पता,

दरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल

बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है : निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर |

(IV)

सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-.....

(V)

बोली प्रपत्र शुल्कः—राशि रुपये बैंक चैक / डिमाण्ड इंग्राम दिनांक

(VI)

प्रोसेसिंग शुल्कः—राशि रुपये.....डीडीन दिनांक

(VII)

बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक जो(समाचार पत्र का नाम) दिनांक में प्रकाशित हुई है ।
 शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा "परिशिष्ट ई" में वर्णित शर्तों से बाल्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "स" तथा "परिशिष्ट ई" के समर्त पृष्ठों में वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण—स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं। हम सहमत हैं कि कार्यदेश दिये जाने से 60 दिवस की अवधि में समर्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

(IX)

हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय तिथि से 120 दिन तक विधि मान्य हैं।

(X)

हम सम्पूर्ण करते हैं कि "प्राईसबिड" में अंकित दरें विभागीय "परिशिष्ट ई" में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।

(XI)

हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या है।

(XII)

हम सम्पूर्ण करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(XIII)

हम सम्पूर्ण करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य हैं।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार हैः—

क्र.सं.

वांछित दस्तावेज का विवरण

हाँ/नहीं

जारी दिनांक/ वैधता

1

बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक/ डीडी नं..... दिनांक..... दिनांक..... राशि.....

2

प्रोसेसिंग फीस बैंकर चैक/ डीडी नं..... दिनांक..... राशि.....

3

बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/ डीडी नं..... दिनांक..... राशि.....

4

बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र

5

परिशिष्ट 'द' (स्टेट्स चिह्नित कराते हुए)

6

अनुलग्नक 'ब' (स्टेट्स चिह्नित कराते हुए)

7

जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति

8

जीएसटी रिटर्न एवं जीएसटी चालान की स्कैन प्रति

9

बोलीदाता फर्म के बैंक का परिचय पत्र बोली में अंकितानुसार

10

अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अं

11

वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज

दिनांक—

(XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

(XV) हमारे द्वारा बोलीदाता वरस्तुओं का एक सील सैम्प्ल बोली में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक कार्यालय, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करवा दिये जायेंगे।

(XVI) हम सम्पृष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्राइसबिड ई-बोली में निर्धारित प्रक्रिया से आवेदित की गई है।

नोट :-

1. क्रम संख्या (XIII) में अंकित संलग्न कों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके समुख 'Yes' or 'No' दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issuing date) वैधता अवधि Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।
2. बोली भरने की प्रक्रिया :-

- (ए) परिशिष्ट "अ" बालीफाईंग बिड है, बालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ,ब,स, में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट "द" एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आइटम के परिशिष्ट-इ में अंकितानुसार स्पैसिफिकेशन के अनुसार सैम्प्ल कपड़े में सील करके हस्ताक्षर युद्धा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।
- (बी) परिशिष्ट "ब" प्राईसबिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जाये। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईसबिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

1. बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक: के लिए बोली दी गई है)

2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :— का नाम, डाक का पूर्ण पता,दूरभाष, फैक्ट नम्बर एवं ईमेल आईडी

3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :— निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ,जयपुर। सन्दर्भ :—बोली आमंत्रण सूचना संख्या:— दिनांक जो
(समाचार जर्नल का नाम) दिनांक में प्रकाशित हुई है।

5. (क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वस्तु का नाम :—

(ख) मात्रा :—

(ग) निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर निम्नानुसार अंकित करेः—

(i) दरें—(प्रति प्रति नग /प्रति सेट) :— अंकों में ई-टेपडिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावे।

(ii) विभिन्न कर :—As applicable at the time of supply.

नोट:- ई-टेपडिंग के निर्धारित फॉरमेट, डब्ल्यू में ही दी जावे।

(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावे। दरें में कोई त्रुटि(Errors) एवं उपरिलेखन

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे— 'टैक्स पेड, कर सहित, एज एप्लीकेशन' जावे।

(1) वस्तुओं की दरों हेतु— यदि किसी वस्तु की विभिन्न साईंज हैं तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न

(अ) साईंज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेंगी।

(ब) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता के सामान का रंग अलग-अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग-अलग दी जाती हैं तो बोली पर अमान्य कर दी जाएगी।

6. जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट

उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्राइस बिड के साथ सलगन करें।

7. बोली भरने की प्रक्रिया:— ई-बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट—अ में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जाये अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऊँन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णांग पालना करनी चाहिये।

1. बोली मरने की प्रक्रिया:-बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
 2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तेः-
- (अ) ई-बोली में अंकित आइटम की बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता(वृहत्/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि/थोक विकेता/वितरक/चैन पार्टनर/एजेन्ट द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटम के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट—‘द’ (धोषणा पत्र) एवं तत्सम्बन्धी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ रखेन कर उपलब्ध करवाना होगा।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु:-

किसी भी वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पत्र होंगे, जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त होगा।

- (ii) उक्त उद्यमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।
- (iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मात्रा स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मात्रा स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र झड़ के अनुसार शपथ पत्र ऊँला, ईन बोली के साथ ऊँलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्षय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग-II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शापथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित

विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग-II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शापथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vii) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में गठित

विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(viii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी

अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(ix) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रुपये के नीन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समर्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की, रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की स्सीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/GST Return व चालान की प्रति:-

(i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय रथान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम

का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी वर्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की हैं तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समर्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशेष्ट-'द' पृष्ठ करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ सलग अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशेष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7. दरें :-

(i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्यांकनसमिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

(क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को युगा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि ईकाई मूल्य में दरमालव बिन्दु की

स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख)

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यवत की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दरें एक्साइंज ड्यूटी सहित ही अंकित की जावे। लेकिन एक्साइंज ड्यूटी की दरें भी पृथक से अंकित की जावे। एक्साइंज ड्यूटी में कालान्तर में हुई कमी एवं वृद्धि होने पर उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे “टेक्स पैड” “फर सहित” “एज एप्लीकेशन” का प्रयोग नहीं किया जावे। टेक्स में रिपायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रभाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(v) बोली में दरें परिशेष्ट “इ” के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार परिशेष्ट “इ” में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।

(vi) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vii) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(viii) सप्लाई द्वारा माल प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, माल को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्सम्बन्धी भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(ix) विभागीय सप्लाई के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावे। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी।

(x) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपनतरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब तक कर ली जावेगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xii) किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

8. दरों की तुलना:-

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय एवं राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में जीएसटी को शामिल नहीं करने तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्य वरीयता दी जावेगी। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला

कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोलीदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर कथ अधिकान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी ।

9. बातचीत; Negotiation) :-

- (i) जहाँ तक संभव हों बोलीकारों से कोई बातचीत नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
 - (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
 - (ख) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैद्यता प्राइस बिड खुलने की तिथि से 120 दिन की अवधि तक के लिए विधि प्रत्युत्तरदायी(Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अखीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सम्भायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारावान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाग (Sub-lot) पर नहीं देगा।

13. स्पेसिफिकेशन:-

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशेष्ट 'इ' में निर्धारित सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलों में जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या अन् मोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के कथ आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 घोम पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निर्खारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के सबध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, धाटा, नाश, टृट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iv) बोलीदाता द्वारा परिशेष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निररत कर दी जावेगी।

14. सैम्पल:-

- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ मांगे जा रहे वस्तुओं के सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किए जायेंगे एवं वस्तुओं के सैम्पल की विभागीय उपापन समिति द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी राजकीय / सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त

प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय आत्मिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल की जॉच के उपरान्त जॉच पर हुए व्यय की राशि जमा नहीं करता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से जॉच शुल्क की राशि काट ली जावेगी।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से लिखकर या सैम्पल के साथ रिलाप पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जॉच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो विभाग द्वारा इनका समपर्हण(Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई कलेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(v) असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गए सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति राशि, विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जावेगा। सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट-फूट, या परीक्षण, जॉच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नहीं लिये जायेंगे। विभाग द्वारा उनका समपर्हण किया जायेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. निरीक्षण एवं परीक्षण :-

(i)

(A) निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत संबंधित वरस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा।

(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस नियंत्रण के उपयोग उस इकाई में स्थापित हुए या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(ii)

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशॉप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परीक्षण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii) वरस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जॉच की जायेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रविष्ट किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

(iv)

परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या

स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं हैं तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection)उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वरस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) रद्द करना(Rejection):— निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वरस्तुओं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

- (vii) यदि एवं किये गये सामान को जनहित / सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी। परंतु उपापन समिति इस प्रकार एवं किये जाने योग्य पाये गये सामान को क्रय करने के लिये बाध्य नहीं होगी।
- (viii) आपूर्ति किया गया माल / आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा गांठित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

16.

माल की सप्लाई :-

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दग्दी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई होने एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।

- (iii) **बोलीदाता द्वारा समर्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि तुका कर (FOR) बताए गए परिसर / स्थानों पर भेजा जाएगा।**

17.

बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

18.

सुपुर्दग्दी अवधि (Delivery Period)

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट 'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सद्वाइ आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

19.

माल (Goods) एवं सेवाओं (Services)के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल / सेवा का उपापन नहीं दर्शी है या विनिर्देश मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हक्कदार नहीं होगा।
- (ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मर्दों (Items); k अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनंदपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

- (iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

संवेदा के अधिनिर्णय(Award of Contract)के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य वि-
निर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:-

- सामान्यतः** उपापन की विषयवस्तु (मात्रा / सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त कर्य की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को प्रथम चूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण शीति से विभाजित किया जा सकेगा।
- 21.**
- (i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा निरस्त कर दी जायेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत्त निकायों, राजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
 - (iii) उद्यमिता ज्ञापन II अभियन्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त होय के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभियन्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त हैं, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभियन्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र वस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50:मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फर्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाइन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
 - (iv) अकादमी, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जाएगी:-
नकद- रीर्झ "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत टेजरी चालान से जमा कराई जा सकती है। या
 - (v) शैडयूल्ड बैंक का बैंक फ्राप्ट / बैंकर्स चैंक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
 - (vi) बोली प्रतिभूति राशि अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारंटी जिसे जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
 - (vii) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिक्रिया (Refund of Bid security):- असफल बोलीदाता/ बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।
 - (viii) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज देय नहीं होगा।

(vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जायेगी।

(viii) बोली प्रतिभूति का सम्पहरण(Forfeiture of Bid Security):—

बोली प्रतिभूति राशि का निन.

लिखित मामलों में सम्पहरण (Forfeiture) कर दिया जाएगा :

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने

प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्राप्तम् नहीं करता।

(ङ.) यदि बोली लगाने वाला आधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भांग करता है।

22.

(अ)

बोली (bid)में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(i) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर राशि 5000/- एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

(स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:-

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति धोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के नामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर आधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन॥ अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जायेगी।

(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से जिन रूपण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वरस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर होगी।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वरस्तु के लागत मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जायेगी।

(v) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है।

(vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा आज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vii) सुरक्षा राशि निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी के नाम से जिन रूप में दी जा सकेगी:-

(क) “ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा”

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक इफ्पट या बैंकर चैक द्वारा,
ग्राहीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के ग्रोन्धन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य रिक्पट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों जो यह जारी करने वाले बैंक से किसी अनुसूचित करायी जायेगी।

(ङ.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा

अग्रिम रूप से उन्मोचित (disc harged) की जायेगी। उपापन नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संख्या को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के सम्पहरण की दशा में नियत जमाएरी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ सम्प त कर ली जायेगी।

(च)

और खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:-

अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge)एन.एस.सी

पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदिप्रत्युत करना आवश्यक है।

संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है,

—

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

(ix) सुरक्षा राशि का सम्पहरण (Forfeiture of Security Deposit):— सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों में सम्पहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:—

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के सम्पहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संख्या का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख(Partnership Deed) की एक अभिप्रामाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

(xii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

बीमा:—

तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्वाह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

भुगतान:—

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किया गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges)बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादस्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv)

उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जारूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुकूल होंगे।

(v)

संविदा पत्र में सुपुर्दमी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi)

परिनिधारित क्षति (Liquidated Damages):-

परिनिधारित क्षति के मूल्य (Delivery Period)में वृद्धि करने के मामले में वस्तुली निम्न.

लिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए- 2.5%

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक- 5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए

से अनधिक अवधि के लिए

विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई से अधिक के लिए- 7-5%विहित अवधि के तीन चौथाई

किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए

विहित प्रदायगी अवधि से अधिक के लिए- 10%

परिनिधारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्रधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निधारित तारीख के बाद।

यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो क्रेताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिधारित क्षति जहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट:

प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक

25.

वस्तुलियः—परिनिधारित क्षति, कम सप्लाई, डूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वस्तुली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, डूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी परिनिधारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वस्तुली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वस्तुली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एवं या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

26.

बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी

27.

बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

28.

विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सुखना में अंकित समर्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

29.

बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता / उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

30.

मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाहीं जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मात्त्वा नहीं होंगी।

32.

बोली के साथ सभी वालिंग दस्तावेज़/प्रमाण पत्र बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक तैय होने चाहिए। विशेष में युणावयुण के आधार पर उचित समझन पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वालिंग दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण JRTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

Rajesh

अतिरिक्त महानिवेशक पुलिस एवं

निवेशक

राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पुस्त पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,

पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका /उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता(वृहत्/मध्यम/लघु)(जो ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'आ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शातों की पूर्ण पालना की जाएगी/करुणा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरश: स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतीकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिमूर्ति राखि का समाप्त हरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय नोहर

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of We hereby certify that M/S Name)..... of (Address) is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No..... Dtd..... We hereby undertake to supply the material through him as desired.

(.....)

Signature of Manufacturer

Name

Signature Attested

Name

Designation.....

Seal of Manufacturer

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

- a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2)The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

- (3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

- (4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (f)

(5)Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6)Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
- (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of
D.C.

Particulars of appellant : Before the (First/ Second Appellate Authority)

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any :
(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i) (1)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

the name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement

or a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which

If the Appellant proposes to be represented by an attorney, he must file a written application for leave to do so. The application must state the name of the attorney, his address, and the reason why he is desired to represent the appellant.

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

Grounds of appeal

THE JOURNAL OF CLIMATE

(Supported by an affidavit)

Place
Date

Appellants Signature

कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

परिशिष्ट ई

Horse Float / Horse Carrier हेतु शर्ते एवं स्पेशिफिकेशन:-

सामान्य शर्तों से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 33 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होंगे:-

Hoe Float / Horse Carrier :- के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेशिफिकेशन का विवरण निम्न नुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर.:- कार्यालय, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ।
(ख) मात्रा :- निमानुसार
(ग) कुल सप्लाई अवधि- सप्लाई आदेश में दी गई दिनांक ।
(घ) स्पेशिफिकेशन:- Horse Float / Horse Carrier का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार होगा-

The technical committee finalized the under mentioned specifications of Horse carriage vehicles to be fabricated on 02 Number of Tata LPD1918/52 Bus Chassis FES BS-6:-

a) Vehicle Body

Whole body of each vehicle will be divided in four compartments as per details given below:-

- I) Drivers Cabin
- II) 1st Horse Compartment
- III) Escorts Compartment
- IV) 2nd horse compartment

D) Drivers Cabin

Driver's cabins must have one adjustable seat for driver, one seat for co-driver, one wide seat for co-passengers & one sleeper seat for driver & co-driver. Driver's cabins should have outlet/inlet sockets 240V. No access from inside to rear compartments & access only from outside from both sides (left & right).

II) 1st & 2nd Horse Compartment:

1. 1st horse compartment shall be fabricated behind the drivers cabin & 2nd horse compartment shall be at the rear part of vehicle behind the escort compartment.
2. Both Horse compartment must have space for three horses. Horses in 1st compartment faces to rear of the vehicles & horses in 2nd compartment faces towards Escort Compartment (front) with adjustable grilled/glass windows for air ventilation.
3. 02 heavy duty grilled separators (38X38mm) properly hinged to be fitted in horse compartments to house the horse separately.
4. Detachable rubber padding to be provided in both sides of separators in both compartments to lower body impact.
5. Large stainless steel sink of best quality be fitted below the horse head for continues feeding/watering to the animals during transport in both compartments.
6. Saddle type neck sport of aluminium material (38 mm) for horses comfort & PVC Sheet wooden flooring to be fitted in both horse compartments.
7. Detachable PVC mats (size 10 mm) must be fitted behind each horse to reduce impact of kicking by horse on wall up to 05 feet height in both compartments.
8. Both horse compartments floor must be fitted with non-slippery 10mm thick rubber mats.
9. Interior walls of horse compartments must be fitted with stainless steel of 1mm thick at the level of minimum 04 feet height.

10. Manual side doors in two parts (as shown in drawing) in both horse compartments in the left side of the vehicle.

11. Manual door in two parts shall be made in rear side of vehicle. Heavy duty adjustable grill (38 mm) properly hinged to be fitted in back side of 2nd horse compartment inside of the back side door.

12. Two manual side sliding ramp for loading and unloading of the horses from the both side of vehicle (shown as in drawing).

13. Both horse compartments should have water supply from the tank fitted at roof of the vehicle. Drain of water should also be provided.

14. Wall fans for all 06 horses should be provided in both horse compartments.

15. Rack for Rugs of horses and other equipment required during transportation should be fitted side walls of both horse compartments.

16. Exhaust fans should be provided in both horse compartments & escort compartment.

17..

III) Escort Compartments

1. Escort compartment should have 02 tier berths (adjustable sleepers) to house 04 persons with provision for space for keeping personal belongings.
2. Escorts compartment should have separated from horse compartment by meshed partition grilled walled.
3. Escort compartment should have fitted side door for personals in left side & emergency door in right side of the vehicle.
4. This compartment should have cupboard/storage, sink basin, outlet/inlet socket 240V, drinking water tank, folding table & any other basic needs.
5. Strong MS step ladder with aluminium chequered plate to be fitted.

b) Structural aspects

1. Safety locks

Two doors of the driver's cabin and escort compartment shall have heavy duty both side lockable locks.

2. Cabin Height

Clear height inside the cabin shall be minimum 08 feet.

3. Compartments

- i) Heavy galvanized 1.00 mm thick side sheet shall be fitted up to the height of 1100 mm from floor after that windows up to height of 1500 mm shall be provided.
- ii) Floor of the vehicle's compartment shall be made of minimum 18 mm thick boiling water proof grade plywood covered with minimum 10 mm thick good quality rubber.
- iii) Internal Roof of the Vehicle shall be made of minimum 1mm thick heavy galvanized plain sheet & supposed by HAT sections of appropriate size.
- iv) Under floor structure shall be made from mild sheet channel min. 100X50X5 mm & minimum 75X40X5 mm & mild steel angle min. 40X40X5 mm.
- v) Side structure shall be made of square tube of min. 48X48X2 mm & HAT sections of appropriate sizes.
- vi) Minimum 02 numbers of lights shall be provided in the each compartment.

Safety Features

- i) Two way emergency/ alarming call bells shall be provided between the driver's cabin & escort compartment.
- ii) See through windows/grill from driver's cabin to rear door of the vehicle.
- iii) First aid box for Vet. & personals shall be provided separately.

- iv) Portable fire extinguishers of normal size shall be provided in driver's cabin & escort compartment.
- v) Smoke & fire alarm system shall be provided.
- vi) Warning signs with red light for horse wagon behind the vehicle.
- vii) Height of vehicle & other fabrication should be in accordance with Central Motor Vehicles rules passed by Govt. & other bodies time to time.

- viii) Each compartment should have temperature & humidity gauges.
- ix) All fittings including hinge & locks should be heavy duty & in accordance with safety of animals from injuries & other loses.

Roof of the Vehicle

- i) Water tank of 100 ltr capacity shall be made on roof of the vehicle with the supply of drinking water to horses during transportation.
- ii) Luggage Carrier for equipment/hey shall be made on the roof.

General

- i) Effective air flow (cross ventilation in horse compartments & escort compartments).
- ii) Washable interior for easy cleaning of horse & escort compartments.
- iii) All inner body finishing should be of highly anti rust stainless steel & hard aluminum sheet wherever applicable.
- iv) No iron parts & pointed fitting inside horse compartments to avoid injury to the animals.
- v) Storage cabinets should be made under seats, feeding watering sinks of horses & any other place available in the vehicles.
- vi) Outer dimension of vehicle be in accordance with Central Motor Vehicle Rules/oredrs passed by Govt. Time to time.
- vii) One door shall be at the rear side of vehicles.

e) Dimension of Horse Compartments

- | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|
| i) | Length of Chassis | =32F |
| ii) | Width of Chassis | =08 F |
| iii) | External Height with luggage carrier | =09 F 4 inch |
| iv) | Internal height of all compartments | =08 F |
| v) | Width per horse | =02 F 06 inches |
| vi) | Total internal width | =07 F 06 inches |
| vii) | Length per horse with Khurli | =09 F 04 Inches |
| viii) | Length per horse without Khurli | =07 F 04 inches |
| ix) | Width of khurli for every horse | =02 F 06 inches |
| x) | Height of Khurli from floor | =3 F 06 inches |
| xi) | Length of ramp | =07 F 06 inches |
| xii) | Width of khurli | =05 F 01 inches |

f) Painting & color Scheme:

Painting should be done as per color scheme given by the purchaser. All structural members to be primed with minimum 02 coats of zinc phosphate primer of reputed brand after cleaning with pretreatment solution. Outer panels shall be painted with etch primer, zinc primer & 2k automotive paint of desired shade.

g) Technical Drawing

Bidder has to submit a detailed layout drawing along with their bid.

h) CCTV Camera, GPS

There should be provision of CCTV Camera with connected Display Unit

I) Tools and accessories :-

Standard tools such as with rod , wheel spanner, tyre lever plier, screw driver, tyre pressure gauge, grease gun, intercom facility between gard compartment & driver compartment

Note:-

1. Above dimensions of the vehicles are tentative & can be changed/adjust at the time of fabrication in accordance with dimension of chassis.
2. Sizes of steel & aluminium pipes/channels and rubber mats/PVC mats/sheets are tentative & can be increased/decreased after bidder's/technical team's inspection of B.S.F.'s horse floats located at Delhi and Takempur (M.P.)
3. Registration with Local RTO (Regional Transport office) in name of Director RPA will be done by seller.

सामान्य शर्तें:-

1. उपरोक्त सामान की सप्लाई अवधि अनुबंधित अवधि तक होगी।
2. बोली में दर्शित प्रत्येक वर्स्टु की दर मध्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावें।
3. उपकरण / वर्स्टु के सम्बन्ध में ताकनीकी विवरण से सम्बद्धित पूर्ण दस्तावेज रखें करके ई-निविदा के साथ दिये जावें।
4. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशेष में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से च्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
5. अन्य समस्त दस्तावेज जो निविदादाता निविदा के साथ देना उचित समझे, रखें करके ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करें।
6. आवश्यकता होने पर सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति/क्रय समिति या निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जा सकता है।
7. सप्लायर द्वारा परिशेष ई की शर्तों के अनुरूप सप्लाई राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में करनी होगी जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मध्य मोहर
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)